उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या सा-3-2049/दस-915/89
लखनऊ : दिनांक : 26 अगस्त, 1989

कार्यालय ज्ञाप

विषय : अस्थायी सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता ।

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-1152/दस-915/89, दिनांक 1 जुलाई, 1989 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे सरकारी सेवकों को जिन्होंने दस से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने अथवा सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा आगे सेवा करने हेतु पूर्णतया अक्षम घोषित कर दिये जाने पर अधिवर्षिता/अशक्तता पेंशन सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पारिवारिक पेंशन उसी प्रकार एवं उन्हीं दरों पर देय होगी जैसी कि स्थायी कर्मचारियों को उन्हीं परिस्थितियों में संगत नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य होती है। इस संदर्भ में अनुरोध किया जाता है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-1152/दस-915/89, दिनांक 1 जुलाई, 19[illegible] के अन्तर्गत जिन मामलों में दिनांक 1 जून, 1989 से पेंशन दी जाये अथवा उक्त दिनांक को यदि वे जीवित होते तो देय होती, उनमें ऐसे सरकारी सेवक की मृत्यु पर उन्हीं दशाओं में पारिवारिक पेंशन भी सामान्य नियमों के अन्तर्गत देय होगी ।

(गणेश दत्त दीक्षित)
उप सचिव ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

संख्या सा-3-2049 (1)/दस-915/89

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

.....2

2. सचिव, विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय ।
3. राज्यपाल सचिवालय ।
4. मुख्य लेखा अधिकारी ।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
7. निर्धारित सूची के अनुसार पेंशन संघों को ।
8. निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आज्ञा से,

[illegible]
उप सचिव ।